मुन्तकिली प्रकरण सं0 24/2018 अनवानी रामरतन पुत्र श्री पोलाराम जाति बिश्नोई निवासी 71 एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–दलीप पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ 2–रामधन 3–भागीरथ 4–बंसीलाल 5–रामस्नेही 6–इमला 7–मालती 8–शिमला 9–स्टेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2018

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुभाष मिढ़ा उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुभाष मिढ़ा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आरटीए को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण के नाम तहसील पदमपुर के चक 80 एलएनपी के खाता संख्या 68/69 मु0न0 29 की 6.200 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज है। रामनारायण, प्रार्थी के चाचा का लड़का है उसके नाम उक्त भूमि अलाट करवाने की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की गयी थी। भूमि रामनारायण के नाम दर्ज होने के पश्चात उसके द्वारा मौखिक बंटवारा में उक्त भूमि प्रार्थी को देकर गांव सरदारगढ़ में आबाद हो गया। उक्त भूमि 40 वर्षो से प्रार्थी के कब्जा में चल आ रही है जिसका प्रार्थी को खातेदार घोषित किये जाने का वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का भी प्रस्तुत किया था जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई न कर केवल दर्ज रजिस्टर करने का ही आदेश दिया गया।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक अन्य प्रा0 पत्र धारा 151 सीपीसी का भी प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि की खातेदारी परिवर्तित करवाकर विक्रय करना चाहते है जिससे विवाद उत्पन्न होगा। इसलिए स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है जबकि उस अप्रार्थीगण दलीप व रामधन ईजलास में मौजूद थे ने ऐलानिया कहा कि उनकी पीठासीन अधिकारी से जानकारी हो चुकी है तथा उन पर राजनैति दबाब भी डलवा दिया है। इसलिए वे दावा खारिज करवा देंगें और जमीन का कब्जा लेकर रहेंगें। उपखण्ड अधिकारी का व्यवहार भी प्रार्थी के प्रति सही नही है जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उसे उपखण्ड अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। इसलिए प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाकर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में राजस्व वाद सं0 128/17 रामरतन बनाम दलीप आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के अनुसार उसके चाचा के लड़के रामनारायण को तहसील पदमपुर के चक 80 एलएनपी के खाता सं0 68/69 के मु0न0 29 की 6.200 हैक्टर भूमि रामनारायण द्वारा मौखिक बंटवारा में प्रार्थी को दी गई थी जिसकी खातेदारी अपने नाम करवाने के लिए उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके गुण दोष पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही किया जाना है बल्कि यह देखा जाना है कि प्रार्थी द्वारा मुकदमा मुन्तकिली का जो कारण बताया है वह उचित है अथवा नही? चूंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से जानकारी होना और पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब डलवाने का आरोप लगाया जाकर मुकदमा मुन्तकिली की प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा मुकदमा मुन्तकिली के लिए पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये यह आरोप साधारण प्रकृति के है ऐसा आरोप कभी भी किसी भी समय किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पर एडमिशन की स्टेज पर खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर